

(ग) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार,”

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) अप्रैल, 2025 के पहले दिन से प्रभावी मद (ब) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (यज) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(यजक) “बीमाकर्ता” का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में दिया गया है।”

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) सा.का.नि. संख्या 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024-केन्द्रीय कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. संख्या 620(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 06/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017-Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 25A, in column (3), for the words “transmission and distribution” wherever occurring, the words “transmission or distribution” shall be substituted;

(B) after serial number 36A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil”

(C) against serial number 69, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

“(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,”

(ii) in paragraph 2 of the said notification,-

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item (zj), the following item shall be inserted, namely: -

“(zja) “insurer” has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).”.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:- The principal notification number 12/2017 - Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 08/2024-Central Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 620(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 06/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 42(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148, के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4) धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (XXV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 26क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 37क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"37ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य

(ग) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-